

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 390

दिनांक 20.07.2021/29 आषाढ़, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

तौकते और यास चक्रवातों से हुआ विनाश

†390. डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

श्री सु.थिरुनवुक्करासर:

श्री असादुद्दीन ओवैसी:

श्री एस. ज्ञानतिरावियम:

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

श्री नितेश गंगा देव:

डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे:

डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.

श्री कुलदीप राय शर्मा:

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत:

श्री बी. मणिकम टैगोर:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित गुजरात और ओडिशा में तौकते और यास नामक दो गंभीर चक्रवाती तूफान आए थे अर्थात् 18 मई 2021 को गुजरात में तौकते तथा 26 मई 2021 को ओडिशा में यास चक्रवात आया था जिससे बुनियादी ढांचे, जानमाल, खड़ी फसलों, घरेलू जानवरों आदि का भारी नुकसान हुआ था;

(ख) यदि हां, तो कितना नुकसान हुआ और उन सभी राज्यों के नाम क्या हैं जो गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं तथा सम्पत्ति, बुनियादी ढांचे, फसलों, मवेशियों, मछली पकड़ने के उपकरणों के नुकसान की क्या रिपोर्ट हैं और मारे गए/घायल/विस्थापित और लापता लोगों की संख्या का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसानों/मछुआरों पर चक्रवात 'तौकते और यास' के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए केन्द्रीय दलों को भेजा है या मंत्री और प्रधान मंत्री ने चक्रवातों के नुकसान/प्रभाव का आकलन करने के लिए इन राज्यों का दौरा किया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे हैं और किसानों को उनकी फसल के नुकसान और हानि के लिए निधि अवंटन की क्या सिफारिश की गयी है तथा प्रभावित राज्यों द्वारा कितनी राहत राशि मांगी गयी है और राहत/पुनर्वास कार्यों हेतु आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत सरकार द्वारा तमिलनाडु सहित राज्य-वार क्या सहायता प्रदान की गई है/ प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ड.) भविष्य में इस प्रकार की आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों के सभी संबंधित विभागों के सुचारु समन्वय के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं और इन राज्यों में लोगों के पुनर्वास/प्रभावित व्यक्तियों के जीवन एवं बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(च) एनडीआरएफ और राज्य के कितने कर्मियों को तैनात किया गया है और इन चक्रवातों के दौरान कितने लोगों को बचाया गया?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय)

(क) और (ख): चक्रवाती तूफान 'तौकते' से पांच राज्य नामशः गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव (डीएनएचएंडडीडी) संघ राज्य क्षेत्र प्रभावित हुए थे तथा चक्रवात 'यास' से तीन राज्य नामशः ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड प्रभावित हुए थे। प्रभावित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त ज्ञापनों/स्थिति संबंधी रिपोर्टों के अनुसार, सूचित की गई क्षति/नुकसान का ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग) और (घ): आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिए, प्रभावित राज्यों को अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए आवश्यक राहत के प्रबंधन हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लोक सभा अ.ता. प्र.सं. 390 दिनांक 20.07.2021

गोवा, केरल और झारखंड की राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता के लिए ज्ञापन/मांगें प्राप्त नहीं हुई हैं। राज्यों द्वारा वित्तीय सहायता मांगी गई है, यथा महाराष्ट्र-92.37 करोड़ रुपये, कर्नाटक-10.89 करोड़ रुपये, पश्चिम बंगाल-4522 करोड़ रुपये, गुजरात-9836.01 करोड़ रुपये और दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव-56.53 करोड़ रुपये। ओडिशा सरकार ने राहत उपायों के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

चक्रवात "तौकते" और "यास" के मामले में, राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त होने से पहले ही, केंद्र सरकार ने अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) गठित कर दी थीं, जिन्होंने गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दमण एवं दीव के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था।

चक्रवात "तौकते" और "यास" के परिणामस्वरूप, माननीय प्रधानमंत्री ने 19 मई, 2021 को गुजरात राज्य तथा 28 मई, 2021 को ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का दौरा किया था। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने चक्रवाती तूफान "तौकते" और "यास" के लिए आवश्यक राहत के प्रबंधन हेतु एनडीआरएफ से अग्रिम रूप में गुजरात को 1000 करोड़ रु., ओडिशा को 500 करोड़ रु., पश्चिम बंगाल को 300 करोड़ रु. और झारखंड को 200 करोड़ रु. की अतिरिक्त वित्तीय सहायता जारी की थी। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए एसडीआरएफ में 8873.60 करोड़ रु. के केंद्रीय अंश की प्रथम किस्त दिनांक 29 अप्रैल, 2021 को अग्रिम रूप में चक्रवात प्रभावित राज्यों सहित सभी राज्यों को जारी की थी।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, अपने पास पहले से मौजूद एसडीआरएफ से किसानों सहित प्रभावित लोगों को आवश्यक राहत प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त, किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत मुआवजे के लिए भी हकदार हैं, जिसका कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है।

लोक सभा अ.ता. प्र.सं. 390 दिनांक 20.07.2021

(ड): मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) बड़ी आपदाओं के दौरान प्रभावित राज्यों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/एजेंसियों के साथ स्थिति की निगरानी और समन्वय करती है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) सभी प्रभावित/संभावित रूप से प्रभावित होने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित और सटीक भविष्यवाणियां और चेतावनी देने वाले बुलेटिन जारी करता है।

प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावकारी प्रबंधन हेतु उपयुक्त तैयारी और शीघ्र कार्रवाई संबंधी उपाय के लिए देश में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सुव्यवस्थित संस्थागत तंत्र मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने एक सशक्त पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित की है और मौसम संबंधी भविष्यवाणियों की सटीकता में काफी सुधार हुआ है। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित तौर पर माँक अभ्यास और सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए उपायों से आपदा प्रबंधन संबंधी पद्धतियों, तैयारी, रोकथाम और कार्रवाई तंत्रों में काफी सुधार हुआ है जिसके परिणामस्वरूप देश में चक्रवातों सहित प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मौतों में काफी कमी आई है। इसके अतिरिक्त, आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना सरकार की एक सतत और विकासशील प्रक्रिया है।

(च): चक्रवात "तौकते" के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता हेतु एनडीआरएफ की 71 टीमों (गुजरात-43, महाराष्ट्र-4, गोवा-1, केरल-9, कर्नाटक-3, तमिलनाडु-5, राजस्थान-2, दमण एवं दीव-3 और दादरा एवं नगर हवेली-1) तैनात की गई थीं। इसी प्रकार, चक्रवात "यास" के मामले में, चक्रवातों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता हेतु एनडीआरएफ की 113 टीमों (ओडिशा-52, पश्चिम बंगाल-46, झारखंड-8, आंध्र प्रदेश-3, तमिलनाडु-3 और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह-1) तैनात की गई थीं।

एनडीआरएफ की टीमों ने भारी संख्या में प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में राज्य प्रशासन की सहायता की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन चक्रवातों के दौरान सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए व्यक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

लोक सभा अ.ता. प्र.सं. 390 दिनांक 20.07.2021

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बचाए गए व्यक्ति
1. चक्रवात 'तौकते'	
गुजरात	2,38,548
महाराष्ट्र	13,425
दीव	405
केरल	83
2. चक्रवात 'यास'	
ओडिशा	7,03,058
पश्चिम बंगाल	15,04,506
झारखंड	17,165

लोक सभा अ.ता. प्र.सं. 390 दिनांक 20.07.2021

अनुलग्नक

चक्रवात तौकते और यास के मद्देनजर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार क्षति/नुकसान के ब्यौरों को दर्शाने संबंधी विवरण

(अनंतिम)

राज्य	मानव जीवन की क्षति	क्षतिग्रस्त मकान/झोपड़ियां	पशुधन की क्षति	प्रभावित फसली क्षेत्र (हेक्टे. में)	मछुआरों की क्षतिग्रस्त नौकाएं एवं जाल
गुजरात - चक्रवात 'तौकते'	67	88,910	8629	149270	475 - नौकाएं
महाराष्ट्र - चक्रवात 'तौकते'	22	44,091	34	16787	1215 - नौकाएं और 21836 - जाल
दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव- चक्रवात 'तौकते'	1	1,203	4	51.22	29 - नौकाएं
गोवा- चक्रवात 'तौकते'	3	2,004	160	227	--
कर्नाटक- चक्रवात 'तौकते'	6	473	2	215.23	263 - नौकाएं और 324 - जाल
केरल- चक्रवात 'तौकते'	11	5,034	91	24433	125 - नौकाएं और 282 - जाल
ओडिशा- चक्रवात 'यास'	3	18,094	72	5672.99	40 - नौकाएं और 14 - जाल
पश्चिम बंगाल- चक्रवात 'यास'	--	लगभग 3 लाख	11740	170891	4353 - नौकाएं और 18708 - जाल
झारखंड- चक्रवात 'यास'	4	1,508	3	74.94	--
